



संख्या- 10/2022/3340/77-6-2021-6002(099)/4/2021

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग,

उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2022

विषय:- पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रु.3,89,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 वित्तीय निगम के पत्रांक-332/वि0नि0/ वियोवि/ मुख्या0/2021-22 दिनांक 03.08.2021, पत्रांक-393/वि0यो0/वियोवि/ मुख्या0/ 2021-22 दिनांक 03.09.2021, एवं पत्रांक-617/ वि0नि0/वियोवि/मुख्या0 /2021-22 दिनांक 8.11.2021 द्वारा पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 हेतु पात्र इकाई मेसर्स मेलोडी पालीप्लास्ट प्रा0लि0 उन्नाव को उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा स्वीकृत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष रु.3,89,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। इकाई का विवरण निम्नवत हैं:-

क्रमांक	इकाई का नाम	वर्ष	धनराशि
1	मे0मेलोडी पालीप्लास्ट प्रा0लि0 उन्नाव।	2016-17	3,89,000.00
	कुल		3,89,000.00 (रु.तीन लाख नवासी हजार मात्र)

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति 2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2885-60-800-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का क्रियान्वयन-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रु.306.52 करोड़(रुपया तीन सौ छः करोड़ बावन लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रु.3,89,000.00(रुपया तीन लाख नवासी हजार मात्र) की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि जिस इकाई को भुगतान किया जाना है उसके खाते में आहरित कर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे जमा की जाएगी।
2. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते /अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30.11.2012 (यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
6. यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर द्वारा किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 22.03.2021 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. उ0प्र0वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे तथा उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा इस आशय की आख्या आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर को उपलब्ध करायी जाएगी।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय(क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-6 के अशा0सं0-ई-6-3434-दस-2021-22 दिनांक 18.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय

अनु सचिव।

संख्या- 10/2022 /3240(1)/77-6-2021-6002(099)/4/2021 तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. नोडल अधिकारी बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम के पत्रांक-332/वि०नि०/वियोवि/मुख्या०/2021-22 दिनांक 03.08.2021, पत्रांक 393/वि०यो०/वियोवि/मुख्या०/2021-22 दिनांक 03.09.2021, एवं पत्रांक-617/ वि०नि०/वियोवि/मुख्या०/2021-22 दिनांक 8.11.2021 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/4
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-1/4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।